

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)  
पीठासीन अधिकारी - श्री सुनील पंवार (आर.ए.एस.)

प्र0स0 - 60/2020

उनवान

1. रामकिशन पिता माधु गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
2. हरी पुत्र माधु गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. (प्रार्थीगण)
1. रामलाल पिता राजू गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
2. मगना पिता हजारी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
3. बन्ना पिता बालू गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
4. उगमी पत्नि मेवा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
5. ओनाड पिता किशन गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
6. छोटू पिता मेवा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
7. जीथा पुत्री किशन गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
8. नारायण पिता मेवा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
9. मोडूराम पिता किशन गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
10. रूपा पुत्री किशन गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
11. शिवराज पिता किशन गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
12. सजनी पत्नि किशन गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

:: निर्णय ::

दिनांक - 16.12.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 19.08.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम धनोप पटवार मण्डल धनोप भू0अ0नि0 धनोप तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 343 के आ0न0 1877, 1878, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892/3726, 1899, 1901 कुल 9 कुल रकबा 2.81 हैक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 19.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सुचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक 16.12.2020 पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम धनोप पटवार मण्डल धनोप भू0अ0नि0 धनोप तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 343 के आ0न0 1877, 1878, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892/3726, 1899, 1901 कुल 9 कुल रकबा 2.81 हैक्टर भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह आदेश आज दिनांक 16.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील पंवार)  
उपखण्ड अधिकारी  
फुलियाकंला (भीलवाड़ा) राज  
फुलियाकंला, जिला भीलवाड़ा